# uxj iapk;r larks"kx<] ftyk Åuk fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

## vof/k 1-4-2010 ls 31-3-2012

## Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vof/k 4@10 ls 03@12 rd uxj iapk;r larks"kx< ds iz/kku ,oa lfpo fuEukuqlkj Fks%&

¼1½ iz/kku

| Øe la[;k | uke | vof/k |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति निर्मला देवी | 01.04.2010 से 23.01.2011 |
| 2 | श्रीमति अन्जम बाला | 24.01.2011 से 31.03.2012 |

¼2½ lfpo

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति वर्षा | 01.04.2010 से 31.03.2012 |

¼[k½ uxj iapk;r larks"kx<] dk vof/k 04@10 ls 03@12 dk y[kkvksa dk vads{k.k esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkj%&

| Øekad | xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lEcfU/kr lkj | iSjk la[;k | jkf'k ₹ yk[k esa |
|---|---|---|---|
| 1 | गृहकर, दुकान किराया, चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली। | 6 (ख) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) | 55.15 |
| 2 | संविदाकार को अधिक भुगतान | 9 (क)(ख) | 10.67 |
| 3 | संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान | 10 (क) (ख) | 0.24 |
| 4 | संविदाकार को अधिक भुगतान | 11 | 0.16 |
| 5 | संविदाकार को बिना मदों की आपूर्ति लिए सुरक्षित अग्रिम प्रदान करना | 12 (च) | 6.00 |
| 6 | संविदाकार का अनुचित/अनियमित भुगतान | 13 (क) | 1.60 |
| 7 | संविदाकार को अनुचित भुगतान | 13 (ग) | 5.57 |
| 8 | संविदाकार को अनियमित रूप से 10 सीसी दावे का भुगतान | 18 | 0.98 |
| 9 | बिजली की मदों का खुले बाजार से क्रय करना | 25 | 2.46 |
| 10 | नगर पंचायत द्वारा अनियमित व्यय करना | 26 | 0.37 |

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''XVIII'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## Hkkx&nks

## 2 orZeku vads{k.k%&

नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/2010 से 03/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण,सर्व श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.07.2012 से 16.08.2012 के दौरान संतोषगढ़ में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 3/2011, 8/2011 तथा व्यय के लिए मास 11/2010 तथा 11/2011 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee".

## 3 vads{k.k 'kqYd%&

नगर प्ंचायत संतोषगढ़ के अवधि 4/2010 से 03/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹25,800 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम प्रेषित करने के लिए अधियाचना संख्याः 119/2012, दिनांक 16.08.2012 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राषि पंजाब नैषनल बैंक संतोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 90769, दिनांक 24.08.2012 द्वारा भिजवा दी गई है।

## 4 foŸkh; fLFkfr%&

¼d½ नगर पंचायत संतोषगढ़ के अवधि 04/2010 से 03/2012 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति संलग्न परिषिष्ट (i) पर दर्षाई गई है जिसे चयनित मासों के आधार पर सत्यापित किया गया है।

¼[k½ नगर पंचायत सन्तोषगढ़ की Earmarked Grants की पिछली वित्तीय स्थिति अवधि 4/07 से 3/10 के अन्तषेष ₹5003613/–दर्षाया गया था जबकि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/10 से 3/12 में Earmarked Grants का प्रारम्भिक षेष ₹8331579/–दर्षाया गया है। इस सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत सन्तोषगढ़ को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93/12 दिनांक 17.7.12 को जारी की गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्ण अवधि 4/07 से 3/10 में "Earmarked Grants" की वित्तीय स्थिति में गलती से "RGURF Cash Book" के वर्ष 2009–10 के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया जिसका विवरण परिषिष्ट (i) में दिया गया है तथा जिसका दिनांक 31.3.10 को अन्तषेष ₹3327966/–था। अतः उक्त अन्तषेष की राषि को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में Earmarked Grants के प्रारम्भिक षेष में जोड़कर प्रारम्भिक षेष की ₹8331579/–दर्षाई गई है। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼x½ नगर पंचायत संन्तोषगढ़ के अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.12 को अन्तषेष ₹7765171/– दर्षाया गया है तथा चैक/हस्तगत राषि का षेष ₹8380666.17/– दर्षाया गया है। इस प्रकार वित्तीय स्थिति तथा बैंक/हस्तगत राषि में ₹615495.17/–का अन्तर दर्षाया गया है जिसका विवरण परिषिष्ट (ii) में दिया गया है परन्तु उक्त के विपरीत नगर पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरण में दिनांक 31.3.12 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तषेष ₹7765171/–के स्थान पर ₹7810752.17 दर्षाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.12 के आंकड़ों की भिन्नता के कारण स्पष्ट किए जाए।

## 5 ljdkjh vuqnku ¼**Grant-in-Aid**½ %&

¼d½ अवधि 4/2010 से 03/2012 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान की राषि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राषि का विवरण निम्न प्रकार से विभिन्न परिषिष्टों में दिया गया है।

| Øe la[;k | fooj.k | ifjf'k"V |
|---|---|---|
| 1 | 13th Finance Commission | (iii) |
| 2 | DC Grants | (iv) |
| 3 | Maintenance of ULB Roads | (v) |
| 4 | EIUS Grants | (vi) |
| 5 | Grant Under Rain Demages/ Calamity relief | (vii) |
| 6 | Grant Under SJSRY | (viii) |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Grant Under RGURF | (ix) |
| 8 | Grant Under IDSMT | (x) |
| 9 | Grant Under SWMP | (xi) |
| 10 | Grant Under other Department | (xii) |

¼[k½ vd{k.k vof/k d nkjku ikIr vunku e l ₹7576160@&dk mi;kx u djuk ¼&

¼i½ अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की राषियों में से दिनांक 31.03.2012 तक ₹75,76,160/– का उपयोग नहीं किया गया था। अनुदानों के परिषिष्टों में दर्षाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकांष अनुदानों की शेष बची राषियां न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनके उपयोग/व्यय हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि अनुदानों से व्यय करते समय निर्धारित शर्तों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा शेष बची राषियों को या तो वापिस किया जाए या फिर इनके उपयोग करने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

¼ii½ उपरोक्त (ख) (i) में वर्णित अन्तषेष की ₹7576160/–में "3rd State Finance Commision" से सम्बन्धित अन्तषेष की ₹3124289/–भी दर्षाई गई है परन्तु "3rd State Finance Commission" से सम्बन्धित अनुदान की राषि के विवरण से सम्बन्धित परिषिष्ट संलग्न नहीं किए गए है जिसे अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

¼x½ ₹15 yk[k **RGURF** dk gLrkrfjr dju ckj¼&

नगर पंचायत द्वारा RGURF Grants की रोकड़ वही का अलग से रख रखाव किया जा रहा है। जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत के पंजाब नैषनल बैंक के बचत खाता संख्या 4395 से निम्नविवरणानुसार ₹15 लाख निकालकर RGURF निधि को हस्तांतरित/ऊधार दी गई है जो कि अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस नगर पंचायत निधि में जमा नहीं करवाई गई जबकि RGURF में दिनांक 28.3.2012 को ₹33 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुकी थी। अतः नगर पंचायत निधि को ₹15 लाख वापिस लौटा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

| fnukad | jkf'k |
|---|---|
| 1.6.2011 | 5 लाख |
| 15.11.2011 | 10 लाख |
| | 15 yk[k |

¼?k½ **SJSRY** vuqnku esa izkIr ₹214000@&dks ckjs esa&

निदेषक, षहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या यूडी–एच(एफ)(1)–10/97–VIII 9268–9317 दिनांक 5.5.2011 के अन्तर्गत नगर पंचायत को अनुदान की ₹334000/– प्राप्त हुई परन्तु सचिव नगर पंचायत ने निदेषक षहरी विकास विभाग को अपने पत्र संख्या 629 दिनांक 7.9.2011 द्वारा सूचित किया गया कि "According to Community Organizer women are not interested for group scheme and Nagar Panchayat Santoshgarh is ready to surrender the amount given for this purpose."

इस प्रकार नगर पंचायत ने निम्नानुसार निदेषक षहरी विकास विभाग से SJSRY के अन्तर्गत जो अनुदान प्राप्त किया था उसमें से ₹214000/–के व्यय करने में अपनी असमर्थता जताई है। अतः इस राषि को षीध्र निदेषालय को लौटाया जाए।

| | 'kh"kZ | jkf'k | Yk{; ¼**Target**½ | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USEP (Sabridy) | 10,000 | 1 (Minosity) | व्यय कर दी गई |
| 2 | Setup (Training) | 80,000 | 8 | व्यय कर दी गई |
| 3 | UWSP (Development of women and children in urban Areas | 2,04,000 | 5 (1 group) | सचिव द्वारा व्यय करने मं असमर्थता जताई गई है। |
| 4 | Revolving Fund | 10,000 | –यथोपरि– | –यथोपरि– |

6 vk; %&

¼d½ uxj ipk;r lrk"kx< }kjk ikIr vk; d L=kr iei[kr½ fuEu idkj l g %&

(i) House Tax/Sanitation Tax.
(ii) Rent of shops/stalls.
(iii) Teh. Bazari.

(iv) Electricity cess.
(v) Liquor cess.
(vi) Chullah Tax.
(vii) Interest of Banks.
(viii) NOC for water/Electricity connection.
(ix) Copying fees.
(x) Brick kilns fees.
(xi) Building application fees
(xii) Advance & deposit/Audit recovery.
(xiii) Rehri Licence fees.
(xiv) Misc.
(xv) Banglow/Rent house/Rein Basera
(xvi) Marriage Registeration Fee.
(xviii) Grants.

¼[k½ ₹55]145]72-00 dh yfEcr olfy;k ckj %&

नगर पंचायत संतोषगढ़ की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2012 तक ₹5514572.00 की वसूलियाँ लम्बित थी जिनका विस्तृत विवरण निम्न पैरों में दिया गया है।

¼i½ xgdj d :i e fnukd 31-03-2012 rd ₹37]41]349-00 dh yfEcr olfy;k %&

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 परिषिष्ट (xiii) के अनुसार गृह कर के रूप में ₹37,41,349.00 विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994, की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांछित थी तथा सम्बन्धित करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की

जानी आवष्यक थी। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राषियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः शेष राषि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

**¼ii½ n|dkuk@LVkyk d fdjk, d : i e fnukd 31-03-2012 rd ₹8]95]282@&dh yfEcr olfy;k ¼&**

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों से देय किराए के रूप में परिषिष्ट (xiv) के अनुसार ₹8,95,282/—वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गए। अतः हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। नगर पंचायत द्वारा प्रभावषाली पग न उठाए जाने के कारण दुकानों के किराए की लम्बित राषि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए।

**¼iii½ pYgk VDl dh yfEcr ₹5]01]270-00 dh olyh u djuk ¼&**

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा परिषिष्ट (xv) के अनुसार दिनांक 31.03.2012 तक चूल्हा टैक्स की ₹5,01,270.00 वसूली हेतु शेष थी जिसे शीघ्र वसूला जाए।

**¼iv½ uxj ipk;r }kjk ekckby Vkoj uohuhdj.k 'kYd d : i e ₹55000@&dh fnukd 31-3-2012 rd yfEcr olyh u djuk¼&**

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक मोबाईल टावर नवीनीकरण षुल्क की राषि परिषिष्ट (xvi) के अनुसार ₹55000/—लम्बित थी जिसकी षीघ्र वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या आई0टी0 डी0ई0वी0 (आई0टी) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पष्चात टावर नवीनीकरण षुल्क में 25% की वृद्धि अपेक्षित थी, परन्तु जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा जिन टावरों को लगे हुए 5 वर्ष हो गए है उनके नवीनीकरण षुल्क में 25% की बढ़ौतरी नियमानुसार नहीं की गई जिसके बारे में वांन्छित कार्रवाई की जानी सुनिष्चित करें।

¼**v**½ Jh dey nso ls nqdku ds fdjk;s ds :i esa ₹193014@&dh olwyh u djus ckjs&

श्री कमल देव दुकानदार को दुकान संख्या 589 वर्ष 1999 में नीलामी द्वारा ₹1600/—प्रति माह किराए पर आबंटित की गई परन्तु नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 दिनांक 14.5.2002 द्वारा इस किराए को घटाकर ₹800/—प्रति माह कर दिया गया। किराये को घटाना नगर पंचायत के हितों तथा दुकान आबंटन नियमों के प्रतिकूल था। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 को निदेषक, षहरी विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच(ई)(3)—52/2003 दिनांक 9.6.2004 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा श्री कमलदेव दुकानदार ने सब जज कोर्ट—III ऊना में इस आदेष के विरूद्ध CMA No. 45/04/03 मामला दर्ज किया। माननीय न्यायालय में दिनांक 18.1.2005 को निर्णय दिया कि दुकानदार से ₹1600/—प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जाए। इन आदेषों के विरूद्ध श्री कमल देव दुकानदार ने जिला सत्र न्यायाधीष के न्यायालय में मामला दायर किया जिसे कोर्ट ने इस प्रकार निर्णीत किया, "Dismissed as with drawn" इस प्रकार इस प्रकरण में नगर पंचायत द्वारा श्री कमल देव दुकानदार से ₹193014/—लम्बित किराए की वसूली दर्षाई गई है जिसे षीघ्र वसूल करने के अतिरिक्त भविष्य में भी उनसे निर्धारित दर पर ही वसूली की जाए।

¼**vi**½ Jh lrh'k pUn ls nqdku ds fdjk;s dh ₹60]292@&dh olwyh u djus ckjs&

दुकान संख्या 514, वर्ष 1998 में श्री सतीष चन्द दुकानदार को ₹600/—प्रतिमाह की दर से किराए पर दी गई। दिनांक 30.5.2009 को यह दुकान श्री अष्वनी प्रभाकर दुकानदार को पुनः आबटित कर दी गई। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री सतीष चन्द द्वारा कई वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा इस दुकानदार से ₹60292/— किराए की वसूली लम्बित दर्षाई गई है जिसकी वसूली षीघ्र की जाए।

¼**vii**½ Jh gjftUnj [kMoky ls nqdku ds fdjk;s dh ₹68365@&dh olwyh u djus ckjs&

दुकान संख्या 585, श्री हरजिन्द खडवाल को आबटिंत की गई थी। इस दुकानदार द्वारा नगर पंचायत को कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया गया। तहसीलदार ऊना के पत्र संख्या 756—58—रीडर—I दिनांक 5.6.2012 द्वारा "Evilation & Rent Recovery" का

मामला निर्णीत किया गया तथा दुकानदार से ₹68365/—की वसूली निर्णीत/घोषित की गई है जिसे सम्बन्धित दुकानदार से षीध्र वसूला जाएं।

¼x½ fo|qr mi;ksx dj dh olwyh u djus ckjs%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली की जानी थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 2011—2012 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है जिसकी वसूली षीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

¼?k½ 'kjkc dj dh olwyh u djus ckjs%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा वर्ष 2010—11 के लिए कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से षराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अन्यअवधियों में प्राप्त षराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था इसका कोई भी उल्लेख कराधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था तथा इस बारे में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किा गया। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करन के अतिरिक्त सम्बन्धित अवधियों के लिए षराब कर की वसूली षीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼³½ fczd fdYu 'kqYd dh olwyh u djus ckjs%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के परिक्षेत्र मे ंस्थापित ईंटों के भटठों से वर्ष 2011—12 में कोई भी षुल्क प्राप्त नहीं किया गया जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अपेक्षित षुल्क की वसूली षीध्र की जाए।

¼p½ nqdkuksa ds fdjk;s esa fu;ekuqlkj c<+ksrjh u djuk%&

आयुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेष की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0—एफ(6)—1/85 दिनांक 21.12.2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10% की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबनध किए जाने हैं परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेषक षहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार दुकानादारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

## ¼N½ **IDSMT** ifj;kstuk ds rgr uofufeZr nqdkuksa dk fdjk, ij nsus ckjs&

आई0डी0एस0एम0टी0 परियोजना के तहत निम्नानुसार नव निर्मित दुकानें निम्न विवरणानुसार किराए पर दी गई है परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेषक, षहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| Ø0 l0 | nqdku l0 | nqdkunkj dk uke | vkcaVu frfFk | dh ekfld fdjk;k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | श्री ब्रजेष षर्मा | 5/2011 | 1400 |
| 2 | 3 | श्री बजेष षर्मा | 5/2011 | 1200 |
| 3 | कैफैटेरिया | श्री राकेष तलवार | 12/2011 | 8000 |

## ¼t½ uxj iapk;r }kjk vkfdZVsDV] twfu;j bUthfu;j] MªkÝVeSu ls jftLVs"ku 'kqYd@ uohuhdj.k 'kqYd izkIr u djus ckjs&

म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 203 के अनुसार नगर पंचायत मे जिन आर्किटैक्ट, जूनियर ईन्जीनियर ड्राफ्टमैन द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में निर्मित करवाए जाने वाले भवनों के नक्षे पास करने के लिए प्रस्तुत किए जाते है उनसे रजिस्ट्रेषन षुल्क/नवीनीकरण षुल्क की राषि की वसूली की जानी है परन्तु अंकेक्षण मैमों संख्या 112/2012 दिनांक 08.08.2012 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिष्चित की जाए।

## 7 Lohd`r ctV ls ₹11408324@&dk vf/kd 0;; djuk%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ का अवधि 4/2010 से 3/2012 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार था:—

| o"kZ | Lohd`r ctV | okLrfod 0;; | vUrj |
|---|---|---|---|
| 2010—11 | 8805000 | 12825566 | 4020566 |
| 2011—12 | 9515000 | 16902758 | 7387758 |
| | 18320000 | 29728324 | 11408324 |

उक्त अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 क अनुसार निदेषक षहरी विकास विभाग को अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिष्चित की जाए।

## 8 <u>LFkkiuk</u> %&

¼d½ नगर पंचायत संतोषगढ़ मे अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण परिषिष्ट 'xvii' पर संलग्न है।

¼[k½ श्री जीत राम चौकीदार की सेवाएं दैनिक भोगी से निदेषक, षहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या यू0डी0—एच(बी) (1)—36—199—8700दिनांक 18.8.2007 द्वारा नियमित की गई है परन्तु उनकी जन्म तिथि से सम्बन्धित दस्तावेजों अर्थात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼x½ नगर पंचायत में दिनांक 15.5.2003 से नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन से 10% अंषदान की कटौती करके उसमें 10% सहयोग की राषि जमा करवाई जा रही है परन्तु इस राषि को भी अन्य नियमित कर्मचारियों के पैन्षन एण्ड ग्रेच्यूटी निधि में ही जमा करवाया जा रहा है जबकि इन खातों का रख रखाव हिमाचल प्रदेष सरकार के वित विभाग (पैन्षन) के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(पै0) ए (3)—5/2006 दिनांक 11.6.2010 के अनुसार किया जाना है। अतः

इस बारे षहरी विकास विभाग से उचित दिषा निर्देष प्राप्त करके उक्त ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई की जाए।

| | | |
|---|---|---|
| 9 | निर्माण कार्य का नामः– | C/O Park Near Rehan Basera Building at Santoshgarh. |
| | संविदाकार का नामः– | श्री अमर दत्त षर्मा |
| | बिलः– | प्रथम एवं अन्तिम |
| | कार्य आदेष संख्याः– | 194–196 दिनांक 24.7.2010 |
| | मापन पुस्तिका संख्याः– | 1 SWMP, RGURF पृष्ठ 13 |

¼d½ ₹95424@& dk vf/kd Hkqxrku½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा जिस स्थल पर पार्क का निर्माण करवाया गया है उस भू–स्थल को भरवाने के लिए श्री अमर दत्त संविदाकार को कार्य आबंटन किया गया। निर्माण कार्य की जॉच करने पर पाया गया कि उनसे एक ही मद "Exacavation in earth work and fulling in 15 CM layers in Foundation I/C Raning water upto 5-00 Km Lead." निष्पादित करवाई गई तथा इस मद के लिए उन्हें ₹261.40/–प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किया गया तथा उसमें से 3% की दर से कटौती की गई। पार्कस्थल के एक भूखण्ड का गलत मापन लेने के कारण संविदाकार को 376.34 घन मी0 के लिए ₹261.40 (–3%) की दर से ₹95424/–का अधिक भुगतान किया गया। मापन पुस्तिका में दर्षाई गई स्थिति ड्राईंग के अनुसार यह भूखण्ड त्रिभुजाकार था जिसकी एक भुजा 26 मी0 दूसरी भुजा 15मी0 तथा तीसरी भुजा 12.60 मी0 थी। इस भूखण्ड की गहराई 3.15 मीटर थी जबकि मापन पुस्तिका में इस भूखण्ड का मापन दो भागों में बॉटकर इस प्रकार किया गया था।

| | | |
|---|---|---|
| ($D_1$) | 1/2x12.63x13 | 91.90 $m^2$ |
| ($D_2$) | 1/2x15x13 | 97.50$m^2$ |
| | **Total** | **179.40m2x3.15=565.11$m^2$** |

इस भूखण्ड का मापन निम्नानुसार निम्न प्रकार लिया जाना वांन्छित थाः–

$\sqrt{}$S(S-a)(s-b(S-C)

S=26+15+12.60/2=26.80m

$\sqrt{}$26.80x(26.80-26)x(26.80-15)x(26.80-12.60)

$\sqrt{}$26.80x0.80x11.80x14.20

$\sqrt{}$3592.48=59.93m2

59.93x3.15=188.77m3

अधिक मात्रा=565.11$m^3$-188.77 $m^3$=376.34 $m^3$

| | |
|---|---|
| अधिक भुगतान 376.34 $m^3$@Rs. 261.40per $m^3$ | 98375.27 |
| (-) Rebate 3% | 2951.00 |
| | ₹95424.27 |

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार कार्य की मात्रा अधिक दर्षाकर ₹95424.27 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ l;fonkdj dks ₹571399@&dk vuqfpr@vfu;fer Hkqxrku&

हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के "Schemdule of Rates 2009" की मद संख्या 07060000 में "Excavation in earth work and filling in 15cm layer in foundation & Plith including ramming, watering and consolidating upto all leads and lifts up to 5 Km" की दर कार्य अनुमान की मद संख्या 8 के अनुसार 80–35+181.05 (Lead of 5 कि0मी0)=₹261.40 प्रति घन मीटर निर्धारित की गई। संविदाकार को मिटटी ढुलाई का कार्य 5 कि0मी0 दूरी के लिए आबंटित करते हुए भुगतान करना अनुचित है क्योंकि सन्तोषगढ़ नगर

स्वां नदी के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ है तथा जिस स्थल पर पार्क का निर्माण किया गया है वहॉ से स्वां नदी मात्र लगभग दो कि0मी0 की ही दूरी पर है तथा स्वां नदी से भी रेत अथवा मिटटी उठाकर इस स्थल को भरा जा सकता था। अतः संविदाकार को 5 कि0मी0 की दूरी की बजाए 2 कि0मी0 की दूरी के लिए भुगतान किए जाना ही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 2 कि0मी0 की दूरी के लिए संविदाकार को मात्र ₹152.77/–प्रति घन मी0 की दर से भुगतान किया जाना था जबकि उन्हें 5कि0मी0 की दूरी के लिए ₹261.40/–प्रति घन मी0 की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹108.63/–(261.40–152.77) प्रति घन मी0 की दर से अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। मापन पुस्तिका के अनुसार संविदाकार द्वारा स्थल पर 5422.72 घन मी0 मिटटी का भराव किया गया है तथा उन्हें निम्नानुसार ₹571399/–का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जांच करके अपेक्षित वसूली संविदाकार से की जानी सुनिष्चित की जाए।

| fu"ikfnr ek=k | 5fd0eh0 dh njh dk fy, Hkxrku dh xbl nj | Hkxrku dh xbl jkf'k | 2 fd0eh0 dh njh dk fy, ni; nj | ni; Hkxrku | vUrj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5422.72 घन मी0 | 261.40<br>(–) 3% | 1417500<br>42525 | 152.77<br>(–)3% | 828429<br>24853 | |
| | | 1374975 | | 803576 | 571399 |

10 निर्माण कार्य का नामः– C/O Park Near Rehan Basera Building Word No. 5 Under RGURF Scheme in H.P. Santoshgarh (Remaining word)

संविदाकार का नामः– श्री अम्बिका दत्त

कार्य आदेष संख्याः– 135–137 दिनांक 24.1.2012

बिलः– प्रथम एवं अन्तिम

मापन पुस्तिका संख्याः– 1 (SWMP), (RGURF) पृष्ठ 26 से 31

¼d½ lafonkdkj dks ₹17]268@&dk vf/kd@vfu;fer Hkqxrku¼&

निर्माण कार्य की ड्राईंग की जॉच करने पर पाया गया कि पार्क की बाऊंडरी दीवार की नीव की गहराई 1.75 मीटर ली जानी थी परन्तु मापन पुस्तिका में गणना करते समय यह गहराई 1.95 मीटर ली गई जो कि अनुचित प्रतीत होती है। इस प्रकार निम्नानुसार संविदाकार को ₹17268/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली संविदाकार से की जाए।

| en dk uke | yh xbZ x.kuk | Mkbix d vuqlkj x.kuk | vUrj | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| Exacavation information & Trencher Etc. in earth work | Column 51x1.20x120x195=143.21 $m^3$ | 51x1x1x1.95=99.45m3 | 43.76m3 | 117.10 | 5124 |
| P/l CC1:6:12 | Colmn<br>51x1-20x1.20x0.23=16.89m3 | 51x1x1x0.23=11.73m3 | 5.16m3 | 1942.50 | 10023<br>15147 |
| | | Add 14% Contracter profit as per award letter | | | 2121 |
| | | | | | 17268 |

¼[k½ lafonkdkj dks ₹6393@&dk vf/kd Hkqxrku¼&

निर्माण कार्य की मद संख्या 4 "P/L CC 1:1½:3 in foundation and footings and column" की गलत गणना करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹6393/–का भुगतान अधिक किया गया जिसकी वसूली की जाए।

| x.kuk yh xbZ | mfpr x.kuk | vUrj | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|
| 51x1.00+-<br>30/2x1.00+.30@2x.45 | | | | |
| 11-25m3 | 9.69m3 | 1.56m3 | 3594.60 | 5608 |
| | | | Add 14% Contractor Profit | 785 |
| | | | | ₹6393 |

11 निर्माण कार्य का नामः– P/O Street from Sanoli Road to Gurdwara RD 0/300 to 0/400

संविदाकार का नामः– श्री संदीप कुमार

कार्य आदेष संख्याः– एन0पी0 53–55 दिनांक 5.7.2011

बिलः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका संख्याः– 24 पृष्ठ 70–71

संविदाकार को ₹16257/–का अधिक भुगतानः–

निर्माण कार्य की जॉच करने पर गया गया कि यह निर्माण कार्य RD/300 to RD/400 जो कि 100 मी0 दूरी के लिए थी के स्थान पर 97 मीटर के लिए निष्पादित किया गया इस निर्माण कार्य में मद संख्या (1)"Dressing the ground 1/C cutting and filling upto 15 CM deptt." का निम्नानुसार मापन लिया गया।

1x26.10x3.35=87.10m2

1x30x30.00x40+3.35/2 101.25 $m^3$

1x41.00x3.50+3.20/2= 137.35 $m^3$

325.70 $m^3$

मद संख्या (2) P/L Cement conerete 1:6:12 in foundation and plinth" निम्नानुसार मापन किया गयाः–

325.70x0.15=48.85m3

मद संख्या (3) "P/L CC 1:2:4" का मापन निम्नानुसार लिया गयाः–

325.70x0.10¾32.57 m3

तदोपरान्त मद संख्या (4) "Providng From Work of MS Plate" का निम्न विवरणानुसार अधिक मापन लेते हुए संविदाकार को ₹16257/–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है क्योंकि "From Work" गली के दोनों ओर लगाते हुए 97 मी0 की दूरी के लिए ही "C.C.1:2:4" मद निष्पादित की जानी थी। अतः संस्था स्तर आवष्यक जांच करके अनियमित/अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जाए।

| yh xbl x.kuk | mfpr x.kuk | vUrj | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|
| 3x(26.10+30.00+41.00)=291.00m | 2x(26.10+30.00+41)=194.20m | 97.10m | 78.10 | 7583.51 |
| 14x3.50+3.20/2=46.90m | – | | | |
| 10x3.40=34.00m | – | | | |
| 9x3.35=30.15m | – | 111.05m | 78.10 | 8673.00 |
| 111.05m | | | | |
| | | | | ₹16256-51 |

12 निर्माण कार्य का नामः– C/O Town hall under IDSMT Project.

संविदाकार का नामः– श्री विजय कुमार

बिलः– प्रथम एवं द्वितीय अन्तिम बिल

मापन पुस्तिका संख्याः– 1 DSMT-II पृष्ठ 42 से 50 तथा 59 से 70

आदेष संख्याः– 1529–31 दिनांक 6.11.2006

¼d½ lafonkdkj dks ₹934@&dk vf/kd Hkqxrku¼&

निर्माण कार्य की मद संख्या 3/5 "Providing Mild Steel/Tor sSeel i/c bending binding and placing in position for Tor Steel." के लिए मापन पुस्तिका के पृष्ठ 46 पर स्लैब के Partion-I के लिए ली गई चौड़ाई 2.35 मी0 थी परन्तु मापन में इसे 3.25 मी0 लिया गया जिसके कारण संविदाकार को ₹934/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

| LVhy dk ekiu fy;k x;k | ekiu tks fy;k tkuk gS | vUrj | LVhy tek | vf/kd ek=k | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partion I 70x3.25=227.50RMT | 70x2.35=164.50RMT | 63RMT | 8 एमएम | 24.57 कि0ग्रा0 | 38 | 934 |

¼[k½ lafonkdkj dks ₹1655@&dk vf/kd Hkqxrku¼&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 47 के अनुसार Depressed partion 2 था जिसका क्षेत्रफल 1.9x3.85=7.32 वर्ग मी था परन्तु भवन के Partion 5 के स्लैब के लिए स्टील की लम्बाई 7.55 मीटर ली गई है जिसमें Depressed position 2 की लम्बाई 3.85 मी0 घटाई जानी थी।

अतः partion 5 के स्लैब के लिए लम्बाई 3.7 (7.55-3.85)मीटर ली जानी थी। इस प्रकार संविदाकार को निम्नानुसार ₹1655/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

| स्टील का मापन लिया गया | मापन जो लिया जाना है | अन्तर | जमा | अधिक मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partion -5 29x7.55=218.95RMT | 29x3.70=107.30RMT | 111.65RMT | 8 एमएम | 43.54 कि0ग्रा0 | 38 | 1655 |

¼x½ lafonkdkj dks ₹3749@&dk vf/kd Hkqxrku%&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 47 पर दर्ज मद संख्या 5/3 (C)"P/L C.C. 1:2:4 in beams and slabs" स्लैब के लिए निम्नानुसार दर्ज की गईः–

| | | |
|---|---|---|
| Top slab | 1x5.23x2.35x.12 | 1.47m3 |
| | 1x7.53x12.20x.12 | 11.02m3 |
| | | **12.47m3** |

वास्तव में स्लैब की लम्बाई 12.20मी0 तथा चौड़ाई 7.55 मी0 थी। इस प्रकार संविदाकार को 11.02 घन मी0 स्लैब का ही भुगतान किया जाना था जबकि उन्हें 12.47 घन मी0 प्रमाण का भुगतान किया गया। इस प्रकार उन्हें 1.47 घन मी0 प्रमात्रा का ₹2550/–प्रति घन मी0 की दर से ₹3749 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

¼?k½ funs'kd 'kgjh fodkl foHkkx dh vuqefr ds fcuk fuekZ.k LFky dk cnyko djuk%&

निदेषक षहरी विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य "C/O Community hall in Harizan Mohalla in Nagar Panchayat Santoshgarh" के लिए स्वीकृति की गई थी जबकि

वास्तव में निर्माण कार्य "C/O Town hall under IDSMT project" नगर पंचायत कार्यालय के साथ लगती भूमि पर किया गया परन्तु निर्माण स्थल को बदलने के लिए निदेषक षहरी विकास विभाग की अनुमति नहीं ली गई जिस बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼3½ l{ke vf/kdkjh dh iwoZ vuqefr@vuqeksnu ds fcuk ₹158439@&dh vfrfjDr rFkk ifrLFkkfir enksa dk fu"iknu½&

न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6 (4)(iii) के अनुसार किसी भी कार्य में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन से पूर्व निदेषक षहरी विकास की स्वीकृति अपेक्षित थी परन्तु उक्त निर्माण कार्य में ₹158439/–की अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन किया गया तथा नियमानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| Ø0 l0 | en l0 | fooj.k | ek=k | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.I/1 | Wiregaugl shutters | 15.91m2 | 1147.29 | 18253 |
| 2 | E.I/2 | Half brick masonary | 14.68m2 | 249.47 | 3662 |
| 3 | E.I/3 | P/F M.S. grill | 265kg | 53.60 | 14204 |
| 4 | E.I/4 | Steel work in single section | 210kg | 4380.16 / क्विंटल | 9198 |
| 5 | E.I/5 | P/F J. Hooks | 33No. | 15 | 495 |
| 6 | E.I/6 | P/F Doos stoppers | 3 nos | 25 | 75 |
| 7 | E.I/7 | Helical Spring | 3 nos | 165 | 495 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11/16 (substitute) | P/F Panneled glazed doors and windows | 37.58m2 | 1874.56 | 70445 |
| 9 | 10/15 (Substitute) | Providing wood in frames of doors windows etc. | 1.45m3 | 28699 | 41612 |
| | | | | ;kx | 158439 |

¼p½ lfonkdkj dk fcuk enk dh vkifr fy, ₹6 yk[k dk ljf{kr vfxe inku djuk&

सी0पी0डब्लयू0डी0 मैनुअल खण्ड–1 के अनुसार संविदाकार को सुरक्षित अग्रिम (Secured aAvance) के भुगतान कार्यस्थल पर प्रयोग होने वाली मदों की आपूर्ति करने के उपरान्त ही किया जाना था। जॉच मे पाया गया कि संविदाकार को मात्र उनके आवदेन पर ही ₹6 लाख का अग्रिम प्रदान किया गया तथा उन द्वारा कोई भी मद कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस प्रकार संविदाकार को अनुचित लाभ देने बारे इस विभाग को नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा उक्त भुगतान की वसूली व्यय सहित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| ok0 l0 | Ekkl | jkf'k |
|---|---|---|
| 41 | 10/2008 | 100000 |
| 50 | 12/2009 | 300000 |
| 53 | 3/2010 | 200000 |
| | | ₹600000 |

13 निर्माण कार्य का नामः– C/O Parking and Park Near Cremation Ground at Santoshgarh Under RGURF project.

संविदाकार का नामः– श्री हरपाल सिंह

बिलः– प्रथम एवं द्वितीय अन्तिम बिल

आबंटन पत्र सं0 एन0पी0वर्कस / 191–193 दिनांक 24.7.2010

मापन पुस्तिका संख्याः– RGURF

¼d½ lafonkdkj dk ₹1]60]459@&dk vuqfpr@vfu;fer Hkqxrku½&

इस निर्माण की तकनीकी स्वीकृति CEO-cum-Secretary HIMUDA Shiml. ने अपने पत्र संख्या HIMUDA (DB) Consulatancy, works D/Sala Div/08-V-II दिनांक 27.4.2010 द्वारा प्रदान की गई। प्रथम चलत बिल की मापन पुस्तिका की रिकार्ड प्रविष्टियों की पृ0 15 से 23 की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न मदों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जिस लम्बाई चौड़ाई, तथा गहराई के लिए प्रदान की गई थी उनको अपने स्तर पर बढ़ाते हुए निम्न विवरणानुसार ₹160459 / –का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। यद्यपि नींव की गहराई स्थल की स्थिति के अनुसार बढ़ सकती है परन्तु इसकी लम्बाई तथाचौड़ाई किस कारण बढ़ाई गई उसका औचित्य दिया जाए अनयथा ₹160459 / –के अधिक भुगतान की वसूली सुनिष्चित करें।

| ekiu iqfLrdk i`0 la0@ Ekn la0 | en dk uke | yh xbZ ekiu | vuqeku@rduhdh LVªkj ij iznku fd;k x;k vuqekuu xgjkbZ dh vfrfjDr | vU; | nj | jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 2 | Exacavation in foundation "column" | 18x2.75x2.75x2.10 =286 घन मी0 | 18x2.10x2.10x2.10= 166.69 घन मी0 | 119.30 घन मी0 | 180.95 | 21540 |
| 15 / 3 | P/L CC 1:4:8 Column | 18x2.75x2.75x.30 =41 घन मी0 (गलत गणना) | 18x2.10x2.10x.30=23.81 घन मी0 | 17.18 घन मी0 | 2300.65 | 39525 |
| 16 / 6 | P/L C.C 1:1½:3 | 1st step 18x2.60x2.60x.412 =48.67 घन मी0 | 18x1.95x1.95x.412= 28.19 घन मी | 20.48 घन मी0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (गलत गणना)<br>2nd step 18x2.60x.45/2x2.60 +.45/2x.60=24.34 घन मी0<br>(गलत गणना) | 18x1.95x1.95/2x1.95x.45/2x.60=15.55 घन मी0 | 8.79 घन मी0 | | |
| | 20.48+8.79 | 29.27 घन मी0 | 3594.60 | 105214 |
| | | ;kx | | 166279 |
| | | (–)73.5 % | | 5820 |
| | | Discount | | 160459 |

¼[k½ lafonkdkj dk ₹377@&dk vf/kd Hkqxrku¼&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 15 पर दर्ज मद संख्या 3 "P/L CC 1:4:8" की गणना 41 घन मी0 ली गई है जोकि 40.83 घन मी0 बनती है। इस प्रकार संविदाकार को 0.17 घन मी0 प्रमात्रा का ₹2220.12 (2300.65–3.5 % Discount) की दर से ₹377/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

¼x½ lafonkdkj dk ₹557914@&dk vuqfpr Hkqxrku¼&

श्री हरपाल सिंह संविदाकार को ₹1288433/–का सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) का भुगतान वाउचर संख्या 5 द्वारा मास 11/2011 में किया गया। Secured Advance की जॉच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा धर्मकान्टे की निम्न विवरणानुसार जो रसीदें उपलब्ध करवाई थी उन पर स्टील का मूल्य नहीं दर्षाया गया था।

| jlhn la0 | fnukad | Ekk=k |
|---|---|---|
| 3870 | 19.11.2010 | 122.65 क्विंटल |
| 3871 | 19.11.2010 | 107.50 क्विंटल |
| 3873 | 19.11.2010 | 69.55 क्विंटल |
| | | 299-70 fDoaVy |

इस प्रकरण में "Providing & fixing tor steel" मद की दर निविदा में ₹59.43 प्रति कि0ग्रा0 थी जिसे आधार मानते हुए 299.70 क्विंटल स्टील का मूल्य ₹1780218 लिया गया। संविदाकार द्वारा निविदा में 3.5% कटौती की गई थी तथा इस प्रकार स्टील का कुल मूल्य ₹1717910 (₹1780218–₹62308 3.5%) लिया गया तथा संविदाकार को इस राषि का 75% भाग सुरक्षित अग्रिम राषि ₹1288433/–का भुगतान कर दिया गया जबकि मास 11/2010 मे स्टील का मूल्य लगभग ₹32500 प्रति मीट्रिक टन था। संविदाकार द्वारा स्थल पर लाई गई स्टील 299.70 क्विंटल की कुल मूल्य/लागत ₹974025 थी। अतः सी0पी0 डब्लयू डी0 मैनुअल खण्ड–1 के पैरा 31.4 (2) के अनुसार स्टील मूल्य 75% भाग ₹730519.00 ही देय बनता था। इस प्रकार उक्त त्रुटि पूर्ण तरीके से संविदाकार को ₹557914/– (₹1288433–₹730519) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया। यद्यपि सुरक्षित अग्रिम की वसूली संविदाकार से दिनांक 15.11. 2011 को एक वर्ष के उपरान्त कर ली गई है परन्तु संविदाकार को देय राषि से अधिक (Secured Advance) देने बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा संविदाकार को अनुचित रूप से पहुँचाए गए लाभ की राषि ₹557914 पर एक वर्ष का पैनल ब्याज की वसूली जाए।

¼?k½ lafonkdkj dk ₹382@&dk vf/kd Hkqxrku%&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 पर दर्ज मद संख्या 5 "Providing Form Work" की मात्रा 77.88 वर्ग मी0 ली गई है जो कि 74.88 वर्ग मी0 बनती थी। इस प्रकार संविदाकार को 3 वर्ग मी0 (77.88–74.88) प्रमात्रा के लिए ₹132 प्रति वर्ग मी0 (–) 3.5% कटौती की दर से ₹382/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

¼3½ lafonkdkj dk ₹3011@&dk vf/kd Hkqxrku%&

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 22 पर मद "Providing form work in flat surfaces such as saffits" की प्रमात्रा 204.90 वर्ग मी0 निष्पादित की गई तथा संविदाकार को इस मद भुगतान प्रति वर्ग मी0 ₹258.88 (–)3.5% कटौती की दर से ₹51188/–किया गया जबकि संविदाकार को भुगतान ₹243.65 (–)3.5% कटौती की दर से 204.90 वर्ग मी0 प्रमात्रा के लिए ₹48177 ही देय था। इस प्रकार संविदाकार को ₹3011/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

14 निर्माण कार्य का नामः– P/O Street Near H/O Hem Raj W.No. 3 Santoshgarh

संविदाकार का नामः—   श्रीमति सुनिता देवी

मापन पुस्तिका सं0ः—   23 पृ0 78—79

बिलः—   प्रथम एवं अन्तिम

वाऊचर संख्या 603 मास 11/2010 ₹149463

उक्त निर्माण कार्य की जॉच करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण मं उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिष्चित किया जाए।

¼d½ निर्माण कार्य के अनुमोदित अनुमान तथा ड्राईंग

¼[k½ संविदाकार का नेगोसिएषन पत्र

15 निर्माण कार्य का नामः— "Re-pavement of street from GPS Jattpur Chowk to H/O Yog Raj in W.No.I"

संविदाकार का नामः—   श्रीराम स्वरूप

मापन पुस्तिका सं0ः—   23 पृ0 77—78

बिलः—   प्रथम एवं अन्तिम

वाऊचर संख्या 644 मास 11/2010 ₹220142

उक्त निर्माण कार्य के अनुमान तथा ड्राईंग आवष्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिष्चित किया जाए।

16 निर्माण कार्य "P/O Street Near H/o Hem Raj in Ward No. 3 Santoshgarh" के लिए वाऊचर संख्या 603 मास 11/2010, में श्रीमति सुनीता संविदाकार को ₹149463/—भुगतान किया गया। प्रस्ताव संख्या 357 दिनांक 11.5.2010 द्वारा निर्माण कार्य "सैन्हजोवाल रोड़ पर से हेम राज के घर की और गली का निर्माण वार्ड नं0 3" अनुमोदित किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा उक्त अनुमोदित कार्य न करवाकर अन्यत्र कार्य करवाने के लिए नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 निर्माण कार्य का नामः— C/O Bath Room at Santoshgarh in W.No. 4

संविदाकार का नामः—   श्री चानन राम

मापन पुस्तिका सं0ः–    23 पृ0 79 से 82

वाऊचर संख्या 602 मास 11/2010 ₹72344

उक्त निर्माण कार्य के निम्नलिखित अभिलेख जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना जाना सुनिष्चित किया जाए।

(क) निर्माण कार्य के अनुमान तथा ड्राईंग।

(ख) संविदाकारों की निविदाएं तथा Tender Opening Register

(ग) संविदाकार की खातावही।

## 18 lafonkdkj Jh fot; dqekj dks vfu;fer :i ls ₹97027@&dk 10cc nkos dk Hkqxrku djuk&

okmpj la[;k 56]    ekl 11@2011    jkf'k ₹97027

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा संविदाकार को 10सी0सी0 के दावे के रूप में ₹97027/–का भुगतान किया गया जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी0जी0डब्लयू/एमएएन/167 दिनांक 1.12.2008 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के विपरीत है। उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा सीपीडब्लयू डी मैनुअल (वर्कस) 2007 के पैरा 32.10 के सन्दर्भ में जारी दिषा निर्देषों के अनुसार ,"Clause 10(CC) will be applicable in contracts where the stipulated period for completion is more than 18 months." नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा संविदाकार को पत्र संख्या आईडीएसएमटी/1529/31 दिनांक 6.11.2006 के अनुसार निर्माण कार्य 6 माह के अन्दर पूरा करना था। अतः संविदाकार श्री विजय कुमार को निमयों के विरूद्ध किए गए 10 सीसी के भुगतान की ₹97027 की वसूली की जाए।

## 19 vkj0lh0lh0 dk;ksZa esa l{ke vf/kdkfj;ksa dks VsLV pSd u djuk&

षहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6. (4) (vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा 100 प्रतिषत टैस्ट चैक

करवाया जाना अनिवार्य है परन्तु नगर पंचायत के निर्माण कार्यो में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया जिस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 20 ycj lSl dh olwyh ckjs&

बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्षन वर्कस (आर0ई0एण्डसी0एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेष में दिनांक 4.12.2008 से लागू होने के कारण संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी थी। जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के पष्चात करवाए गए निर्माण कार्यो से कोई भी लेबर सैस की वसूली नहीं की है और न ही संविदाकारों से किए गए अनुबन्ध तथा आबंटन आदेष पत्र में लेबर सैस की वसूली बारे षर्त लगाई जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

## 21 fuekZ.k dk;ksZ ds fy, fu;ekuqlkj lekpkj i=ksa esa foKkiu u nsus ckjs&

न्यू अकाऊंटस मैनुअल के पैरा 11.6(2) के अनुसार जिन निर्माण कार्यो की अनुमानित लागत 5 लाख से ज्यादा है उनका विज्ञापन दो समाचार पत्रों जिनमें एक हिन्दी तथा एक अंग्रेजी समाचार पत्र मे दिया जाना आवष्यक है परन्तु निम्न कार्यो में जिनकी प्रत्येक की अनुमानित लागत 10 लाख थी के लिए मात्र एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिया गया। अतः इस अनियमितता बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

| fuekZ.k dk;Z dk uke | vuqekfur ykxr ¼jkf'k½ |
|---|---|
| C/O Parking & Park at ground Santoshgarh | 10 लाख |
| C/O Park near Rehan Basera Santoshgarh | 10 लाख |

## 22 fuekZ.k dk;ksZ ds fy, vkefU=r fufonkvksa esa enksa dh vuqlwph rFkk ek=k u n'kkZus ckjs&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यो के लिए संविदाकारों को जारी किए गए निविदा फामों के साथ मदों की अनुसूची तथा मात्रा नहीं दर्षाई

गई थी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि संविदाकारों को इस बात का कैसे पता चलता है कि नगर पंचायत द्वारा किन–किन मदों को तथा कितनी मात्रा में निष्पादित करवाया जाना है। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा प्रतिषतता आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की जा सकती है परन्तु उनमें भी निर्माण कार्यो में निष्पादित होने वाली मात्रा तथा नाम दर्षाए जाने अनिवार्य है। अतः प्रकार नगर पंचायत द्वारा निविदाएं मात्र औपचारिकता पूर्ण करने हेतु ही आमन्त्रित की गई प्रतीत होती है तथा परिणामस्वरूप इन दरों के न्यूनतम होने बारे एक आदर्ष तुलनात्मक पुष्टि नहीं की जा सकी जिस बारे औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

## 23 l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr d fcuk dk;k dk vkcfVr djuk&

षहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा 11.6 (4) (i) के अनुसार," All tender upto Rupees five lakh, shall be opened by the Municipal Engineer at the time and place specified in the notice issued under the provision of rule 11.6(2), in presence of the Executive Officer/Secertary of the Minicipality and after that M.E. Shall submit to the admintrator/President or other officer or sub committee authorizes by the Corporatoon/ Minicipality in this behalf all the valid tenders received by the date, together with his recommendations as to which tender should by accepted, and the administrator/President, other officer, Chairman of the sub committee shall sign the tender or tenders which he or she considers should be accepted in token of such acceptance, which will be finally approved by Director. The work will be awarded by Municipal Engineer/Executive Engineer."

जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यो के लिए निदेषक, षहरी विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सचिव द्वारा अपने स्त्तर पर ही संविदाकारों को निर्माण कार्य आबंटन किया जा रहा है जिसके लिए वह उक्त नियम के अन्तर्गत सक्षम नहीं है। अतः इस बारे में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 24 uxj ipk;r dk Hkfe gLrkrfjr fd, fcuk fuek.k dk;Z djokuk&

अंकेक्षण मैमों संख्या 95/2012 दिनांक 20.7.2012 के सन्दर्भ में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या 2012–427 दिनांक 27.7.2012 के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा जिन स्थलों पर निम्न  कार्य करवाया गया उनकी भूमि मालिकाना हक नगर पंचायत के पास न था। अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| fuek.k dk;l dk uke | [kl jk l0 | Hk&Lokeh dk uke |
|---|---|---|
| C/O Parking and Park near cremation ground | 805 | मुस्तरका मालकन |
| C/O Park near rehan Basera Buildings | 6039/2225 | हिमाचल सरकार |

25 ₹246268@&dh fctyh dh enk dk [kjy ckt kj l Ø; djuk&

नगर पंचायत द्वारा अवधि 4/2010 से 3/2012 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹2,46,268/– की बिजली की मदों का क्रय नियन्त्रक भण्डार से अनापति न प्राप्त किए बिना ही खुले बाजार से किया गया जबकि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा बिजली की मदों की दरें अनुमोदित की गई थी। अतः नियन्त्रक भण्डार का अनापति प्रमाण पत्र लिए बिना खुले बाजार से बिजली की मदें क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में दर निविदाओं निविदाओं के अनुसार ही क्रय किया जाए।

| ok0 l0 | ek l | Qe dk uke | fcy l0 | fnukd | jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 4/2010 | एन0के0 ट्रेडिंग कम्पनी मैहतपुर | 373 | 2.4.2010 | 50579 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 10/2010 | –यथोपरि– | 583 | 12.8.2010 | 36970 |
| 689 | 1/2011 | –यथोपरि– | 597 | 23.12.2010 | 45692 |
| 816 | 4/2011 | –यथोपरि– | 11 | 28.3.2011 | 32217 |
| 928 | 7/2011 | मै0 सूर्या सेल्ज एजेसी सन्तोषगढ़ | 2001 | 25.5.2011 | 28320 |
| 1096 | 12/2011 | –यथोपरि– | 2128 | 12.9.2011 | 17110 |
| 1155 | 1/2012 | –यथोपरि– | 2159 | 22.12.2011 | 35380 |
| | | | | | ₹246268 |

26 uxj ipk;r }kjk ₹36570 dk vfu;fer 0;; djuk&

okÅpj l[;k 6 ekl 5@2011 ₹36750@&

उपरोक्त भुगतान वाऊचर की जॉच करने पर पाया गया कि RGURF grant से ₹36750/–का भुगतान बिजली बिलों का किया गया जो कि निधि की प्राथमिकताओं के अनुसार वैध प्रभार नहीं है जिसे निधि मे ंवापिस जमा करवाया जाए।

| ehVj l0 | jkf'k |
|---|---|
| 76–0440 | 1624 |
| 76–20495 | 64 |
| 71–99590 | 4355 |
| 36–99781 | 30076 |
| 26–99211 | 631 |
| | 36750 |

27 Hkxrku dh jlhn ikIr u djuk&

¼d½ okÅpj l[;k 589] ekl 11@2010 jkf'k ₹3550

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा नगर पंचायत के सदस्यो को मानदेय का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान के समर्थन में रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

| lnL; dk uke | jkf'k |
|---|---|
| श्री गोपाल सैणी | 150 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद | 150 |
| श्रीमति तृपता देवी | 150 |

¼[k½ okÅpj l[;k 590] ekl 11@2010 jkf'k ₹1200

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा श्री एस0के0 चौहान नगर पंचायत अभियन्ता को मास 8/2010, 9/2010, 10/2010 का ₹400/– प्रति मास की दर से ₹1200/–मानदेय का भुगतान किया गया तथा रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

28 ery pkyku iLrqr u djuk&

okÅpj l[;k 1083 ekl 11@2011 jkf'k ₹1000

नगर पंचायत द्वारा पोलीथीन के चालानों से प्राप्त ₹1000/–चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई परन्तु इसके सन्दर्भ में मूल चालान अभिलेख में उपलब्ध न थे। अतः मूल चालानों से सम्बन्धित पूर्ण करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 lfonkdkjkssa }kjk uxj iapk;r {ks= esa lQkbZ dk dk;Z djus ls lEcfU/kr Hkxrku esa vfu;ferrkvksa dk C;kSjk esa&

नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई के कार्य से सम्बन्धित भुगतानों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ lafonkdkjks }kjk lQkbZ ij j[ks tkus okys deZpkfj;ksa dh la[;k esa c<+kSrjh djrs gq, vuqfpr :i ls ykHk igqapkus ckjs%&

okÅpj la[;k 1058 ekl 11@2011 jkf'k ₹51500

उपरोक्त भुगतान वाउचर द्वारा श्री गुरू दत्त सफाई संविदाकार को नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के षहर के लिए मास 10/2011 की सफाई के लिए ₹51,500/–का भुगतान किया गया। नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 8 है। वर्तमान समय में 4 नियमित सफाई कर्मचारी भी नगर पंचायत में कार्यरत्त है परन्तु जॉच में पाया गया कि निविदाओं की षर्तों में संविदाकरों द्वारा रखे जाने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या मे बढ़ौतरी करते हुए संविदाकरों को अनुचित रूप से लाभ पहंचाया जा रहा है जबकि नगर पंचायत के परिक्षेत्र में कोई भी बढ़ौतरी नहीं हुई है। अतः इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

| vof/k | lQkbZ deZpkfj;ksa dh la0 ¼fufonkuqlkj½ | jkf'k | Lkafonkdkj dk uke |
|---|---|---|---|
| 1.10.2008 से 31.3.2009 (6 मास) | 6 | 114000 | सर्वश्री बोबी |
| 11.6.2009 से 31.3.2010 | 8 | 316000 (वार्षिक) | विजय कुमार |
| 1.4.2010 से 31.3.2011<br>(पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा ठेका रद्द किया गया) | 8 | 316000+15% बढ़ौतरी (वार्षिक) | विजय कुमार |
| 21.10.2010 से 31.3.2011 | 8 | 35500 (मासिक) | गुरू दत्त |
| 1.4.2011 से 31.3.2012 | 11 | 51500 (मासिक) | गुरू दत्त |

¼[k½ lQkbZ lafonkdkj dks ₹10000@&dk vfu;fer Hkqxrku%&

श्री विजय कुमार सफाई संविदाकार को अवधि 1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान ₹316000+15 % वार्षिक दर से नगर पंचायत परिक्षेत्र की सफाई का कार्य आबंटित किया गया था। नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 12.10.2010 के दृष्टिगत सचिव ने पत्र संख्या 692 दिनांक 13.10.2010 द्वारा दिनांक 20.10.2010 से सफाई संविदाकार श्री विजय कुमार को आबंटित कार्य रद्द कर दिया। संविदाकार से किए गए अनुबन्ध की षर्त संख्या 10 के अनुसार, " सफाई का कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने पर नगर पंचायत को ठेका रद्द करने व सिक्योरिटी जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु इसके विपरीत संविदाकार का ठेका रद्द करने के उपरान्त भी उन्हें वाऊचर संख्या 6 मास 4/2012 द्वारा प्रतिभूति राषि का भुगतान किया गया जिसकी अविलम्ब वसूली की जाए।

¼x½ lQkbZ lafonkdkjksa ls bdjkjukek@vuqcU/k u djus ckjs%&

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.2010 के पष्चात दो बार सफाई संविदाकारों को सफाई का कार्य आबंटित किया गया परन्तु नियमानुसार उनसे कोई भी अनुबन्ध/इकरारनामा नहीं किया गया। अतः इस अनियमितता बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 ;k=k HkÿKk ds Hkqxrku ds ckjs esa%&

¼d½ okmpj la[;k 596 ] ekl 11@2010 ₹567

उपरोक्त भुगतान वाउचर द्वारा सचिव नगर पंचायत श्री वर्षा को उनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया गया परन्तु जॉच में पाया गया कि उनके दावों को न तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और न ही अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम, प्रवास दैनिकियॉं दावो के साथ संलग्न थी जिस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के कर्मचारियों को चयनित मासों में भुगतान किए गए यात्रा भत्ते दावों की जॉच करने पर पाया गया कि दावों के साथ अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम तथा प्रवास दैनिकियॉ संलग्न न थी जिस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

**31 U;w vdkÅaVl eSuqvy ds vuqlkj vfHkys[k dk j[k j[kko u djus ckjs&**

नगर पंचायत द्वारा निम्नानुसार अभिलेख जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस बारे चर्चा मे बताया गया कि यह अभिलेख तैयार नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख अब तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाएः—

(क) ग्रान्ट इन एंड रजिस्टर

(ख) वर्कस रजिस्टर

(ग) संविदाकार की खातावही

(घ) टैण्डर फॉर्म बिक्री करने का अभिलेख

**31 y?kq vkifÙk foojf.kdk %&** इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

**32 fu"d"kZ %&** लेखों में सुधार की नितान्त आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(25)फिन (एल0ए0डी0)खण्ड—5, दिनांक, षिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

ìthd`r %& 1. सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–171002,

3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

4 श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी, द्वारा..................................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

ifjf'k"V ¼xviii½ iSjk l[;k 1 ¼x½ ds lUnHkZ esa

uxj iapk;r larks"kx< ds iwoZ vads{k.k ifrosnuksa ds vfu.khZr iSjksa dh lwph %&

¼d½ vads{k.k ,oa fujh{k.k ifrosnu vof/k 10@70 ls 03@80

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 9(i) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 9(vi) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9(i)(ii) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11(ए) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 12(ए) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 13(ए) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 13(बी) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13(ई) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13(एफ) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | पैरा 13(जी) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 13(एल) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 13(एस) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 13(टी) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 13(यू) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 13(डब्ल्यू) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 13(जैड) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 13(जैड) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 13(जैड) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 16(ए) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 16(बी) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 16(सी) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 16(डी) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 16(ई) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 17(ए) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 17(डी) | अनिर्णीत |

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@80 ls 03@81

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 6(बी) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7(बी) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 10(सी) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 10(ई) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 10(एफ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 12(ए) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 12(बी) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12(सी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 15(एच) | अनिर्णीत |

## ¼x½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@84

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 19(बी) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 23(ए) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 27 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 37(बी)(iii) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 39 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 40(ए) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 40(बी) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 40(बी)(i) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 40(बी)(ii) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 40(बी)(iii) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 40(बी)(iv) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 40(बी)(v) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 40(बी)(vi) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 41 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 41(ए) से (ओ) | अनिर्णीत |

## ¼?k½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@84 ls 03@85

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 15(6) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 15(7) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 15(9) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 15(12) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 15(13) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 15(14) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 15(15) | अनिर्णीत |

¼³½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@85 ls 03@86

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 15(3) | अनिर्णीत |

¼p½ Jh VhOvkj0 y[kuiky ijh{kd dk fnukd 28-04-1987 dk vkd{k.k ,o fujh{k.k

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 1(ए) | अनिर्णीत |

¼N½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@87

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7(i) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7(ii) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 7(iii) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 8 | अनिर्णीत |

¼t½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@87 ls 03@91

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5(ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 5(घ) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 5(ङ) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 5(च) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 5(छ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 5(ज) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 5(झ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 5(ञ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 6(घ) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 6(ङ) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 6(छ)(i) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 6(ज) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 7(क) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 9(क) से (ङ) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 14(क) व (ख) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 15(क)(ख)(ग) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 16(क) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 17(क)(ख) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 19(क)(ख) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 19(ग) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 20(क)(ख) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 22(क) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 22(ख) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 22(ग) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 25(क) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 25(ख) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 27(क) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 28 | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 29(ख) | अनिर्णीत |

¼>½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 ls 03@95

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(ख) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 6(ग) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 6(घ) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 6(ज) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 7(क) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 9(क) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 9(ख) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 9(ग) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 9(घ) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 9(viii) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 9(ix) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 9(x) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 9(xii) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 9(xiii) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 9(xiv) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 9(xvii) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 9(xviii) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 9(xxiv) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 9(xxvii) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 9(xxviii) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 9(xxx) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 9(xxxii) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 9(xxxv) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 9(xxxviii) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 9(xxxx) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 9(xxxxv) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 9(xxxxvi) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | पैरा 9(xxxxviii) | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 13(i) | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा 13(ii) | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 13(viii) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 13(ix) | अनिर्णीत | |

¼¥½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@95 ls 03@2004

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 23 | निर्णीत | (ग्लास स्ट्रिपस को भण्डार पंजिका के पृष्ट 18 पर दर्ज किया गया है तथा उपभोग बारे पुष्टि मापन पुस्तिका 13 के पृष्ठ 51 पर कर ली गई है) |
| 4 | पैरा 25 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 27 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 28 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 29 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 30 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 32 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 33 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 34 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 36 | निर्णीत | |
| 13 | पैरा 37 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 39 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 41 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 42 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 46 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 47 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 48 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 49 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 50 | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | पैरा 51 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 52 | अनिर्णीत |

¼V½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@2004 l 03@2007

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 2 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 4 में दर्षाई गई है।) |
| 2 | पैरा 6(डी)(2) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.4) में दर्षाई गई है।) |
| 3 | पैरा 7(ए)(i) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 7(ए)(vi) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 7(ए)(vii) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 7(बी) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 7(डी) | अनिर्णीत | |

¼B½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@2007 l 03@2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 4 में दर्षाई गई है) |
| 2 | पैरा 5 (1) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 5 (1) प्रारूपित) |
| 3 | पैरा 5 (2) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 5 (2) प्रारूपित) |
| 4 | पैरा 6 (1) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (1) प्रारूपित) |
| 5 | पैरा 6 (2) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2) में |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | दर्षाई गई है) |
| 6 | पैरा 6 (2.1) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.1) में दर्षाई गई है) |
| 7 | पैरा 6 (2.2) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.2) में दर्षाई गई है) |
| 8 | पैरा 6 (2.3) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 के पैरा 6 (2.3) में दर्षाई गई है) |
| 9 | पैरा 6 (3) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 6 (4) (1) | निर्णीत | (गृहकर ₹3044/–की वसूली रसीद संख्या जी 8 6/10 दिनांक 26.3.2008 द्वारा की गई। ₹120/–की मांग वर्ष 2009–10 की आरम्भिक षेष में दर्षा दी गई है जिसकी पुष्टि गृह कर रजिस्टर के पृष्ठ 17 एव 7 पर की गई) |
| | पैरा 6 (4) (2) (i) | निर्णीत | (गृह कर पंजिका पृ0 21 पर गृह कर की मांग ₹1680/–ली गई है पुष्टि कर ली गई) |
| 12 | पैरा 6 (4) (2) (ii) | निर्णीत | (वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 की मॉग गृहकर रजिस्टर के पृ0 21 पर ₹1580 (790+790) दर्षा दी गई है) |
| 13 | पैरा 6 (4) (3) (i) | निर्णीत | (₹2489 की गृह कर रजिस्टर पृ0 53 पर मॉग बारे पुष्टि कर ली गई) |
| 14 | पैरा 6 (4) (3) (ii) | निर्णीत | (गृह कर पंजिका पृ0 29 पर वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 की मॉग ₹1250 (625+625) बारे पुष्टि कर ली गई) |
| 15 | पैरा 6 (4) (4) (i) | निर्णीत | (गृह कर पंजिका पृ0 8 पर गृह कर की मांग ₹10267/–बारे पुष्टि कर ली गई) |
| 16 | पैरा 6 (4) (4) (ii) | निर्णीत | (गृह कर पंजिका पृ0 123 पर वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 की मॉग ₹3664 (1832+1832) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | बारे पुष्टि कर ली गई) |
| 17 | पैरा 6 (5) (1) | निर्णीत | (₹5250 की मॉग किराया रजिस्टर पृष्ठ 130 पर दर्ज कर दी गई है) |
| 18 | पैरा 6 (5) (2) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 6 (5) (3) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 6 (5) (4) (i) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 6 (6) | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 6 (7) (1) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 6 (7) (2) | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 6 (7) (3) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 7 (1) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/2012 में दर्षाई गई है) |
| 26 | पैरा 7 (2) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 7 (3) (i) | निर्णीत | (वांछित कार्यवाही कर दी गई है) |
| 28 | पैरा 7 (3) (ii) | अनिर्णीत | |
| 29 | पैरा 8 (1) (i) | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 8 (1) (ii) | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 8 (1) (iii) | निर्णीत | (पैनल ब्याज ₹1734/–की वसूली बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 110 पर कर ली गई है) |
| 32 | पैरा 8 (2) | निर्णीत | (स्टील की दरें पुनः नियन्त्रक भण्डार द्वारा पत्र संख्या 4 इण्ड/एस0पी0 (एम–84) 5/2006 दिनांक 27.11.2007 द्वारा संषोधित की गई है) |
| 33 | पैरा 8 (3) (i) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा 8 (3) (ii) | निर्णीत | (मदों की भण्डार पंजिका में प्रविष्टि बारे पुष्टि पृ0. 31, 32, 33 पर कर ली गई है) |
| 35 | पैरा 8 (4) | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा 8 (5) | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 8 (6) (i) | अनिर्णीत | |
| 38 | पैरा 8 (6) (ii) | अनिर्णीत | |
| 39 | पैरा 8 (7) | निर्णीत | (मूल बिलों की पुष्टि कर ली गई है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | पैरा 8 (8) | अनिर्णीत | |
| 41 | पैरा 9 (1) (i) | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 9 (1) (ii) | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 9 (2) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 9 (3) | निर्णीत | (सटिप्पण उतार के अनुसार) |
| 45 | पैरा 9 (4) (i) | निर्णीत | (25 बैग सीमेन्ट की वसूली करने बारे पुष्टि मापन पुस्तिका 11 के पृ0 15 पर कर ली गई) |
| 46 | पैरा 9 (4) (ii) | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 9 (4) (iii) | अनिर्णीत | |
| 48 | पैरा 9 (4) (iv) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 9 (4) (v) | निर्णीत | (सटिप्पण उत्तर के अनुसार अधिक निष्पादित की गई स्टील की मात्रा संविदाकार ने अपने स्त्तर पर क्रय करके स्थल पर निष्पादित की थी जिसे सहायक अभियन्ता द्वारा मापन पुस्तिका में सत्यापित किया गया है) |
| 50 | पैरा 9 (4) (vi) | निर्णीत | (30 कि0ग्रा0 स्टील की प्रविष्टि भण्डार पंजिका पृ0 45 पर कर ली गई है) |
| 51 | पैरा 9 (4) (vii) | अंषतः निर्णीत | (पार्किंग के अतिरिक्त समस्त निर्मित स्थल किराए पर दे दिया गया है) |
| 52 | पैरा 9 (5) | अनिर्णीत | |
| 53 | पैरा 9 (6) (i) | अनिर्णीत | |
| 54 | पैरा 9 (6) (ii) | अनिर्णीत | |
| 55 | पैरा 9 (7) | निर्णीत | (सिक्यूरड अडवांस की वसूली वाऊचर संख्या 113 दिनांक 10.8.2009 द्वारा कर ली गई है) |
| 56 | पैरा 9 (8) | अनिर्णीत | |